संख्या- /2024/236/एक-5-2024-98/2015टी0सी02

प्रेषक,

अनिल कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 लखनऊ :: दिनांक मार्च, 2024

विषय- जनपद कानपुर नगर की तहसील घाटमपुर के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-445/12-भवन-27/2009 दिनांक 22.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कानपुर नगर की तहसील घाटमपुर के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश सं0-1462/ एक-5-2015-98/2015 दिनांक 24 नवम्बर, 2015 द्वारा मानकीकृत लागत रू0 340.26 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 170.13 लाख एवं शासनादेश सं0-1397/ एक-5-2016-98/2015 दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 170.13 लाख, की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त अवमुक्त धनराशि से कार्य पूर्ण न होने के कारण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु जनपद कानपुर नगर की तहसील घाटमपुर के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु रू0 624.68 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अवशेष अन्तर की धनराशि रू0 284.42 लाख शासनादेश सं0-332/ एक-5-2018-98/2015 टी0सी02 दिनांक 26 जुलाई, 2018 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 624.68 लाख की सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में जनपद कानपुर नगर की तहसील घाटमपुर के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 3047358.00 (रू0 तीस लाख सैंतालीस हजार तीन सौ अट्ठावन मात्र) अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) को उक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाय और इसकी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(5) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नही की जायेगी।

(6) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(7) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त अवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

(8) अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रायोजना में उक्त अनुमन्य जी0एस0टी0 की धनराशि के अतिरिक्त अन्य धनराशि देय नहीं होगी।

(10) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण.पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(11) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में निहित व्यवस्थानुसार राजस्व परिषद द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।

(12) प्रायोजना के संबंध में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लगायी गयी शर्तो का अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयवधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा। शेष शर्ते मूल शासनादेश के अनुसार यथावत रहेगी।

(13) वित्त विभाग के वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-10/2023/बी0-1-60/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21 प्रदेश के मण्डल/ जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यो एवं भूमि क्रय हेतु-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में प्राप्त प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- /2024/236(1)/एक-5-2024-98/2015टी0सी02 :: तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
6- जिलाधिकारी, कानपुर नगर ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, (पैकफेड) लखनऊ/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0(पैकफेड), जाजमऊ, कानपुर नगर।
8- **श्री राम केवल, विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।**
9- राजस्व अनुभाग-6
10- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(दया शंकर ओझा)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।